

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4971/2025

सुरेश मल्ल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुधांशु पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान रिट याचिका को बेहतर विशिष्टियों और मामले के विवरण के साथ नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है।
2. उपर्युक्त प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
3. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, संबंधित स्थान पर इसकी फोटोस्टेट प्रति रखने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

वी.आर.